अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 11/16–17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–रा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– .... थाना– .... खाता संख्या– .... प्लॉट संख्या– .... रकबा– .... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– .... की पृष्ठ संख्या– .... पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– अजीज Mnd, S/O रजाक मियाँ, ग्राम- नौडीहा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
प० नौडीहा ग्राम- नूरेय्या	846	45	83/100	1.32 ए०

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या........ पृष्ठ सं०– 54/2 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 02, 03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के धारीदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– C.O. Pachrukhi
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध बन्दोबस्ती – 153/02-03
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
I	4950711	17/1/X	2007-10
II	4965308	20/1/X	2010-12
III	114274	6/3/14	2014-15

...की ...म सं० ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आवेदन उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। अतः द्वितीय नोटिस निर्गत करें जिसकी तिथि को निर्धारित करें। अध्यक्ष प्रभार।	

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी, मनातू।	
22.12.22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 02.01.2023 को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी मनातू	
02.01.23	अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 12.01.2023 को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी मनातू	

12.11.23 अभिलेख उपस्थापित / जांच प्रतिवेदन अप्राप्त
अभिलेख दिनांक 26.04.23 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू

03.05.2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।

3.5.23

अंचल अधिकारी,
मनातू।

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–45, प्लौट सं0– 83/100 रकबा 1.32 ए0 पर अजीज मियां पिता रजाक मियां के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 153/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–रहेया थाना नं0–345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–45, प्लौट सं0– 83/100 रकबा– 1.32 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत अजीज मियां पिता रजाक मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 42/I पर दर्ज होकर वर्ष 2009–10 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई......समाप्त......की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 3/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। 3/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अँचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं॰ 116/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आफलाइन माँग पंजी-II के अवलोकन पश्चात पाया कि माँग पंजी-II के पेज नं॰ 45/I पर अजीज मियाँ पिता- रजाक मियाँ के नाम से माँग कायम है। माँग पंजी-II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

03/11/2023

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
रहेया	45	89/00	1.32	Settlement case No- 153/02-03

प्रतिवेदित भूमि का राजस्व रसीद वर्ष - 2009-10 से वर्ष - 2014-15 तक निर्गत है। अंतिम लगान रसीद संख्या - 114714, दिनांक - 8/7/14 दर्ज है। माँगकारी रैयत से बंदोबस्त भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज की माँग की गई है जो अब तक अप्राप्त है। अंचल कार्यालय से सूचना निर्गत कर माँगकारी रैयत से भूमि बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व दस्तावेज की माँग की जा सकती है, तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अतः जाँच प्रतिवेदन महाशय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन
अनिल कु॰ रजक
रा॰ कु॰ नि॰
हलका - III

18/04/23
R.S.+C.I

सेवा में,

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू ।

विषय:- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस न० 116/16-17 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा रहेला में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा से मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरुआ आम खाता सं० 45 प्लॉट सं० 83/100 कुल रकबा 1.32 ए० पर अजीज मियाँ पिता रजाक मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनु० पदा० भूमि सुधार के वाद सं० 153/02-03 के अन्तर्गत दिनांक 11-07-03 को मौजा रहेला थाना सं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 45 प्लॉट सं० 83/100 रकबा 1.32 ए० की बन्दोबस्ती उक्त रैयत अजीज मियाँ पिता रजाक मियाँ के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेला के भाग पंजी II के पेज न० 42/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2009-2010 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

(विश्वनाथ राम
सी०रे०3-ई०आ०
रा० उ० नि०
हल्का - III)

अनेश्वर सिंह
अं० अमीन मनातू

(signature)
8/5/11/16

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पलामू

अनुमण्डल का नाम मेदिनीनगर

अंचल का नाम मनातु

नाम सर्कल। नाम मौजा मय रंगेया

थाना वो थाना नम्बर 345

V रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB 41

4930911

WP- P-No. 12 / 13

खाता संख्या 45	खेसरा संख्या 83/100

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
1.32 एकड़	सामंत सिंह पिता स्व० रंजन सिंह	

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया 90-91				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	08-09 1ला वर्ष	09 10
माल गुजारी (नकदी)	11.00				198.00	11.00
माल गुजारी (भावली)	3.00				54.00	3.00
सेस	6.00				108.00	6.00
*सूद	6.00				108.00	6.00
मुतफरकात	3.00				54.00	3.00
मोजान	29.00				522.00	29.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया 90-91				09-10 मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	08-09 1ला वर्ष		
माल गुजारी (नकदी)				198.00	11.00	
माल गुजारी (भावली)				54.00	3.00	
सेस				108.00	6.00	
*सूद				108.00	6.00	
मुतफरकात				54.00	3.00	
मोजान अदायकारी				522.00	29.00	=551.00

पांच सौ इक्यावन रूपया मात्र

(1) मीजान कुल (लफ्जों में)

(2) नाम देहिन्दा - स्वयं

(3) कुल बकाया- 0

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील/कुनिन्दा 1/10

NCCP-2007

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, डालटनगंज जिला – पलामू

गैर मजरुआ आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 153/02-03 परवाना संख्या- 8

बन्दोबस्तधारी का नाम अजीज मियाँ पिता का नाम रजाक मियाँ

ग्राम रहेया थाना मनातु जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न0	खेसरा न0	रकबा	चौहदी	लगान 11.00
रहेया / 345	45	83 / 100	1.32 (एक एकड़ बत्तीस डि०)	उ0 जे० मा० द0 इब्रीश मियाँ पू0 – बीज प0 – सीमा (वनसीमा)	प्रतिवर्ष अलावे सेस वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्ते

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा। बन्दोबस्त भूमि की सास्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

11/7/03

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर | अंचल अधिकारी | अनुमंडल पदाधिकारी

2/7/03

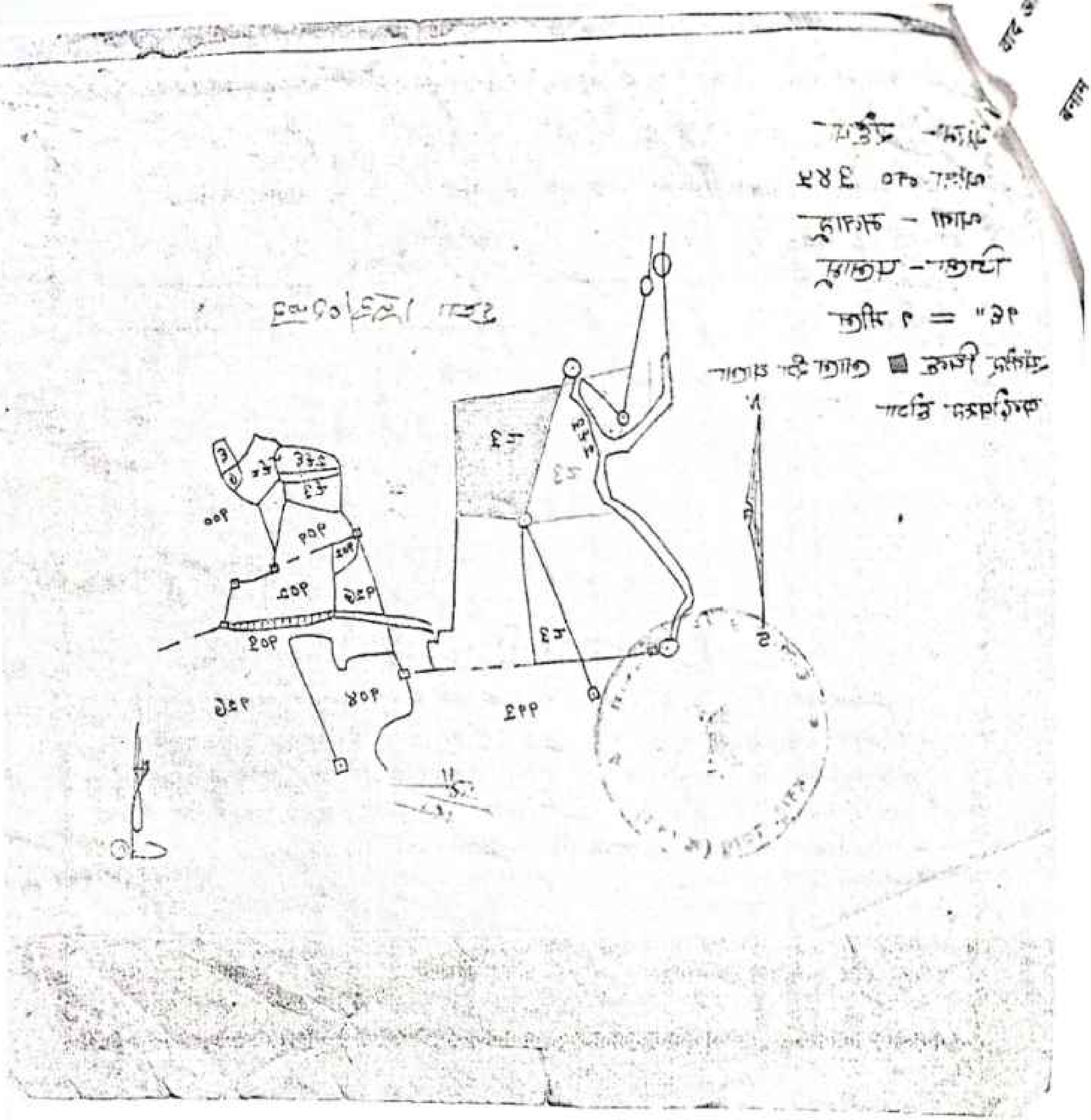

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या 116/16-17 2016(अन्तगर्त धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम अजीत मिश्र वल्द रघुनाथ मिश्रा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा रहेना थाना नं0........... खाता नं0 45 खेसरा नं0 83/100 रकबा 1.32 ए0 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0............... पंजी भाग के पृष्ठ 42/I पर दर्ज जमावंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 22/06, 2024 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा भुतापूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमिंदारी रसीदों, फॉर्म सरकार में जमींदारी निहीत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों, निर्गत परवाना एवं ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा किं स्थिति में समझा जायगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि:–

स्थान:–

मुहर

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या....116/16-17 2016(अन्तगर्त धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम अख्तर मियाँ वल्द स्वाबु मियाँ

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा........रेहला........ थाना नं0............ खाता नं0....45.... खेसरा नं0.....83/100 रकबा.....1.32 ए० से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0................ पंजी भाग के पृष्ठ .....42/I.... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जाँचोंपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 22/06/2024 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भुतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमिंदारी रसीदों, फॉर्म सरकार में जमींदारी निहीत होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों, निर्गत परवाना एवं ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा किं स्थिति मैं समझा जायगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथिः–

स्थानः–

मुहर

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.04 17:15:23 +05:30
Location: 10.83.87.97